

न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

32/11/18
16/11/18
आदेश पत्रक संख्या
सा 10

आदेश पत्रक ता 0 से

जिला-खगड़िया सा 10 सन्

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम 10 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
-----------------------------------	--	---

10.05.2013

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1706/सी0आर0 दिनांक 10.05.2017 द्वारा बेलदौर थाना काण्ड संख्या-183/2016 दिनांक 24.11.2016 धारा-47(ए0) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये देशी शराब (महुआ) का कुल 09(नौ) पाऊच प्रत्येक में 300एम.एल0 कुल शराब 02 लीटर 700 एम0एल0 थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष बेलदौर का तलासी-सह-जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है।

देशी शराब (महुआ) का कुल 09(नौ) पाऊच प्रत्येक में 300एम.एल0 कुल शराब 02 लीटर 700 एम0एल0 सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना कांड में जप्त देशी/विदेशी शराब को-अपने-देख रेख में नष्ट करें; तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, बेलदौर /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।
(31)



समाहर्ता, खगड़िया।
(31)

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including dates like 10.05.2013 and 10.05.2017, and various signatures.